खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 18/2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम प्रकाशचन्द्र व अन्य

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 18/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/21

सायल :–		गैर सायल :–
दिलीपसिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली	बनाम	1. प्रकाशचन्द्र पुत्र श्री खेमचंद जाति सिन्धी (मालिक) मैसर्स :– श्रीराम डिस्ट्रीब्युटर, पोस्ट ऑफिस रोड़, सुमेरपुर पाली 2. गजेन्द्र कुमार अग्रवाल मैसर्स :– जय अम्बे ट्रेडर्स, मैन मार्केट, सुमेरपुर, पाली 3. **Amit Kumar Agarwal s/o Sh. Santosh Kumar m/s Bhawani Traders, Opp. Senior Tyre E-274 A, Ground Flour Basni 2nd Phase, Basni, Jodhpur**

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.एस.ए एक्ट, 2006 नियम 2011

–:निर्णय:–

दिनांक: 14.05.2025

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जुर्म दफा 26 की उपधारा (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 07.09.2021 को दर्ज किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार सायल दिलीपसिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली दिनांक 22.10.2019 को दोराने गश्त मैसर्स:– श्रीराम डिस्ट्रीब्युटर, पोस्ट ऑफिस रोड़ सुमेरपुर पर पहूंचा तो वहां प्रकाशचन्द्र पुत्र श्री खेमचन्द जाति सिन्धी को पाया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय देते हुए फर्म मालिक की उपस्थिति में गोदाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया कि 06 कार्टुन में सुगन्धित पान मसाला (ब्रान्ड तानसेन ब्ल्युज) के लगभग 630 मूल पैकेट में आम जन को बिक्री वास्ते रखे हुए थे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

CamScanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 18 / 2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम प्रकाशचन्द्र व अन्य

निरीक्षण के दौरान सुगन्धित पान मसाला (ब्रान्ड तानसेन ब्ल्युज) में मिलावट का संदेह होने पर सरकारी जांच हेतु सुगन्धित पान मसाला (ब्रान्ड तानसेन ब्ल्युज) का नमूना लेने की इच्छा जाहिर की इसके लिए मैने फॉर्म नम्बर 5ए भरकर उक्त नमूना वास्ते सरकारी जांच हेतु क्रय किया।

सुगन्धित पान मसाला (ब्रान्ड तानसेन ब्ल्युज) विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में 16 मुल पैकेट सुगन्धित पान मसाला वास्ते जांच हेतु क्रय कर कीमत विक्रेता को 3520/– रुपये नगद देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये जिस पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली का कोड व क्रमांक R–1013 लिखा व नमूने का विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में खरीद किये गये सुगंधित पान मसाला (ब्रान्ड तानसेन ब्ल्युज) को चार भागो में करके, चार पैकेट तैयार कर उक्त तैयार लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक नमूना पैकेट पर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना पैकेट को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना पैकेट पर डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लीप, कोड व क्रमांक R–1013 गोंद से नियमानुसार चारों नमूना पैकेट के ऊपर से नीचें की और चिपकाई तथा प्रत्येक नमूना पैकेट को नियमानुसार धागे से बांध कर चपडी से सीलबंद व सील मुहर किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता व गवाहान को पढ़कर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होंने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किए स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। उपरोक्त सभी कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान के सामने मौके पर ही की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पहूंचकर फॉर्म न. 06 की प्रतियां तैयार की तथा प्रत्येक पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना पैकेट सील की थी। एक नमूना पैकेट मय फॉर्म न. 06 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, दो फॉर्म न. 06 की प्रति अलग से लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर मैने स्वयं, के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो सीलबंद नमूना पैकेट तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म न. 06 की प्रतियां आउटर कवर में चपडी से सीलबंद कर, सीलमोहर कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली को आवेदनकर्ता ने जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली के पत्रांक एफएसएसए /2019/14733–34 दिनांक 04.12.2019 के द्वारा जाँच रिपोर्ट संख्या एल एस /914/एक्ट/2019/998 दिनांक 21.11.2019 के द्वारा उक्त सुगंधित पान मसाला (ब्रान्ड तानसेन ब्ल्युज) का नमूना Unsafe food under section 3(1)(zz)(iii), 3(1)(zz)(v), 3(1) (zz) (vii) and 3(1) (zz) (xi) of food safety and standards Act 2006 due to addition of Mineral oil and Magnesium Carbonate and also Misbranded under section 3(1)(zf) (c) (i) of food safety and standards Act 2006 पाया गया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

CamScanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 18/2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम प्रकाशचन्द्र व अन्य

विक्रेता द्वारा नमूने की पुनः जांच हेतु अपील की जिस पर नमूना पुनः जांच हेतु रेफरल खाद्य प्रयोगशाला मैसुर भिजवाया गया जिसकी रिपोर्ट क्रमांक 133F/FSSA/2020 दिनांक 03.06.2020 के द्वारा Misbranded व अवमानक sub-Standard पाया गया।

यह कि, m/s Bhawani Traders, Opp. Senior Tyre E-274 A, Ground Flour Basni 2nd Phase, Basni, Jodhpur से पत्र व्यवहार करने पर एवं मोबाईल से बार बार सम्पर्क कर फर्म से संबंधित सूचनाएं चाहने हेतु निवेदन करने के बाद भी आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई जिस पर उक्त फर्म को ही अन्तिम पार्टी माना जा रहा है

अतः प्रकाशचन्द्र पुत्र श्री खेमचंद जाति सिन्धी (मालिक) मैसर्स :– श्रीराम डिस्ट्रीब्युटर, पोस्ट ऑफिस रोड़, सुमेरपुर पाली 2. गजेन्द्र कुमार अग्रवाल मैसर्स :– जय अम्बे ट्रेडर्स, मैन मार्केट, सुमेरपुर, पाली 3. Amit Kumar Agarwal s/o Sh. Santosh Kumar m/s Bhawani Traders, Opp. Senior Tyre E-274 A, Ground Flour Basni 2nd Phase, Basni, Jodhpur ने सुगन्धित पान मसाला (ब्रांड तानसेन ब्ल्युज) Misbranded व अवमानक sub-Standard की बिक्री कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (1) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है।

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटीस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्रसिंह राव ने व अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री रघुवीरसिंह ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर प्रकरण में बहस सुनने का विनिश्चय किया गया।

अधिवक्तागण अप्रार्थीपक्ष ने बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रश्नगत खाद्य सामग्री पैक्ड थी जिसके अवमानक होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अप्रार्थीगण की व्यापारिक फर्म प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है एवं पूर्व में अप्रार्थीगण के विरुद्ध अवमानक खाद्य सामग्री के विक्रय का कभी कोई प्रकरण नहीं बना है। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज करावें।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीपक्ष की ओर से बहस के दौरान कोई उपस्थित नहीं होने से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं सलंग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों से ज़ाहिर होता है कि दिनांक 22.10.2019 को प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स श्रीराम डिस्ट्रीब्युटर, सुमेरपुर में ज़ैर कार्यवाही खाद्य सामग्री (सुगन्धित पान मसाला ब्रांड तानसेन ब्लयुज) नमूना क्रमांक R–1013 पब्लिक हैल्थ लैब, जोधपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 21.11.2019 में 'unsafe' और 'Misbranded' होना पाया गया।

अप्रार्थी संख्या 01 के आवेदन पर उक्त नमूने की रैफरल फूड लैब मैसुर से पुनः जांच करवाई गई। रैफरल फूड़ लैब मैसुर की जाँच रिपोर्ट दिनांक 03.06.2020 में भी उक्त खाद्य नमूने R–1013 को 'Misbranded' पांया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 18/2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम प्रकाशचन्द्र व अन्य

अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को प्रस्तुत एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से यह भी ज़ाहिर होता है कि अप्रार्थी संख्या एक मैसर्स श्रीराम डिस्ट्रीब्युटर द्वारा प्रश्नगत सुगन्धित पान मसाला अप्रार्थी संख्या दो मैसर्स जय अम्बे ट्रेडर्स से ज़रिए इन्वॉइस J-1690 दिनांक 22.10.2019 द्वारा तथा मैसर्स जय अम्बे ट्रेडर्स द्वारा उक्त माल अप्रार्थी संख्या 03 भवानी ट्रेडर्स, बारानी से ज़रिए इन्वॉइस संख्या 439 दिनांक 19.10.2019 खरीदा गया था।

इस प्रकार, अप्रार्थी संख्या एक लगायत तीन द्वारा 'मिसब्रांडेड' खाद्य सामग्री (सुगन्धित पान मसाला ब्रांड तानसेन ब्लयुज) का विक्रय/भण्डारण करना साबित होता है, जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य मानक अधि. 2006 की धारा 26 (2) (ii) के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर उक्त अधिनियम की धारा 49 में विहित मापदण्डों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा 52 में विहित प्रावधानान्तर्गत 'मिसब्रांडेड' श्रेणी का सुगन्धित पान मसाला ब्राण्ड तानसेन ब्लयुज के विक्रय एवं भण्डारण के कारण कुल 75000/– रुपये मात्र की शास्ति अधिरोपित की जाती है। उक्त जुर्माना राशि कुल पचहत्तर हजार रुपये का भुगतान तीनों अप्रार्थीगण द्वारा समानुपातिक रुप से पृथक पृथक अर्थात 25000/–रुपये प्रत्येक अप्रार्थी द्वारा किया जाएगा। साथ ही, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को निर्देश दिए जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थीगणों से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानुन के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि" मे जमा करवाकर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली

क्रमांक/कोर्ट/खा.सु.प्र.स.18/2024/2025/ दिनांक :

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली
3. श्री दिलीपसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली, हाल बांसवाडा।

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली
न्याय निर्णयन अधिकारीएवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली

CamScanner